

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.2(17)नविवि/ 11/2008

जयपुर दिनांक 26 APR 2016

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.2(17)नविवि/ 11/2008 दिनांक 01.10.2013 के द्वारा नगर नियोजन सेवा में नियुक्त सहायक नगर नियोजकों को उपस्थिति देने की संगत तिथि से दो वर्ष का परीविक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप निम्नांकित सहायक नगर नियोजकों की सेवाएँ राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम-1966 के नियम 31 के प्रावधानान्तर्गत नियमित की जाकर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के नियम 22 के अनुसार सहायक नगर नियोजक के पद की नियमित वेतन श्रृंखला पी.बी.-3 15600-39100 ग्रेड पे-5400 में परीविक्षा अवधि पूर्ण होने की तिथि से नियमानुसार मूल वेतन 15600+ग्रेड-पे 5400=21000/- प्रतिमाह दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	नाम सहायक नगर नियोजक	प्रथम नियुक्ति तिथि	परिविक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	नियमित वेतनमान स्वीकृत करने की तिथि
1.	श्री अरविन्द सिंह कानावत	04.10.2013	03.10.2015	04.10.2015
2.	श्री पुनीत शर्मा	04.10.2013	03.10.2015	04.10.2015
3.	श्री भूपेन्द्र कुमार	07.10.2013	06.10.2015	07.10.2015
4.	श्री अंकुर दाधीच	21.10.2013	20.10.2015	21.10.2015
5.	श्री अनुपम शर्मा	04.10.2013	03.10.2015	04.10.2015
6.	श्री नितिन नेहरा	07.10.2013	06.10.2015	07.10.2015
7.	श्री नरहरी सिंह पवार	07.10.2013	06.10.2015	07.10.2015
8.	श्री राकेश मातवा	03.10.2013	02.10.2015	03.10.2015
9.	श्रीमती अनुजा सिंह	25.10.2013	24.10.2015	25.10.2015
10.	श्री अमित व्यास	04.10.2013	03.10.2015	04.10.2015
11.	श्री प्रसून चतुर्वेदी	08.10.2013	07.10.2015	08.10.2015
12.	श्रीमती ऋतु शर्मा	07.10.2013	06.10.2015	07.10.2015
13.	श्रीमती इशिता सैनी	03.10.2013	02.10.2015	03.10.2015
14.	श्रीमती वन्दना चौहान	04.10.2013	03.10.2015	04.10.2015
15.	श्रीमती नैनी जैन	04.10.2013	06.12.2015	07.12.2015
16.	श्री अर्पित संचेती	07.10.2013	06.10.2015	07.10.2015
17.	श्री अनुज अग्रवाल	08.10.2013	07.10.2015	08.10.2015
18.	श्री अनुज कुमार फागणा	10.10.2013	09.10.2015	10.10.2015
19.	सुश्री अपूर्वा पाराशर	04.10.2013	03.10.2015	04.10.2015
20.	श्री लोकेन्द्र शिव मीणा	08.10.2013	29.10.2015	30.10.2015
21.	श्री महावीर सिंह मीणा	08.10.2013	07.10.2015	08.10.2015
22.	श्री अजय गोयल	09.10.2013	08.10.2015	09.10.2015
23.	श्रीमती नीलम वर्मा	08.10.2013	07.10.2015	08.10.2015
24.	श्री मुकेश	10.10.2013	09.10.2015	10.10.2015
25.	श्री गणपत लाल सुथार	14.10.2013	13.10.2015	14.10.2015
26.	श्री विजय मीणा	04.10.2013	03.10.2015	04.10.2015
27.	श्री महेन्द्र मीणा	25.11.2013	24.11.2015	25.11.2015

28.	श्रीमती संध्या सैनी	08.10.2013	07.10.2015	08.10.2015
29.	श्री कृष्ण कुमार जांगिड	07.10.2013	06.10.2015	07.10.2015
30.	श्री मोहन लाल मीणा	31.10.2013	30.10.2015	31.10.2015
31.	श्री मोहम्मद अजहर जादू	15.10.2013	14.10.2015	15.10.2015
32.	श्री सुनील चौहान	04.10.2013	03.10.2015	04.10.2015
33.	श्री धनेश रुणवाल	09.10.2013	09.10.2015	10.10.2015
34.	श्री सूर्यकान्त वर्मा	29.10.2013	28.10.2015	29.10.2015
35.	श्री पोद्दार प्रकाश शार्दूल	11.10.2013	10.10.2015	11.10.2015
36.	श्री भूपेश मालव	08.10.2013	07.10.2015	08.10.2015
37.	श्री योगेश कुमार सॉटोलिया	07.10.2013	06.10.2015	07.10.2015
38.	श्री अंकुर देवत	04.10.2013	03.10.2015	04.10.2015
39.	सुश्री मीनाक्षी वर्मा	09.10.2013	08.10.2015	09.10.2015
40.	श्री मनीष कुमार	08.10.2013	07.10.2015	08.10.2015
41.	श्री इन्द्रजीत राठौड	08.10.2013	07.10.2015	08.10.2015
42.	श्री उदय सिंह वर्मा	07.10.2013	06.10.2015	07.10.2015
43.	श्रीमती पूनम गोणा	09.10.2013	08.10.2015	09.10.2015

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के अन्तर्गत उक्त सभी सहायक नगर नियोजकों को आगामी वेतनवृद्धि दिनांक 01.07.2016 को देय होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(सुबेसिंह यादव)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण/अतिरिक्त आयुक्त, डी०एम०आई०सी०जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त.....।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर।
8. उप नगर नियोजक, कार्यालय उप नगर नियोजक, भरतपुर/अलवर
9. संबंधित सहायक नगर नियोजक द्वारा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव-प्रथम